न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 44/2021

जाकिर हुसैन निवासी राज टाकिज के पीछे टोंक जिला– टोंक राज0

बनाम ––अपीलार्थी

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी टोंक जिला– टोंक

––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 6–1–2022

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिमकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 25–5–2021 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही गई थी :–

परिवाद संख्या 35/2003 बिब्बो बनाम प्रहलाद सिंह की जांच रिपोर्ट मय सम्पूर्ण पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों की सूचना एक–एक प्रति में उपलब्ध करावें।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक को पत्र कमांक 1497 दिनांक 17–12–2021 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक द्वारा पत्र कमांकः पी.ए.2021/1036 दिनांक 23–12–2021 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सुचना लगभग 18 से अधिक वर्ष की होने के कारण उपलब्ध नही हो पाई इस संबंध में अपीलार्थी को अवगत कराया गया कि जिस पत्र से परिवाद सं. अकित की है उस पत्र की छाया प्रति उपलब्ध करावें ताकि फिर से पत्रावली तलाश की जा सके। लेकिन परिवादी ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की। यदि प्रार्थी द्वारा उक्त परिवाद से सम्बन्धित कोई दस्तावेज भी उपलब्ध करवाये जाते हैं तो पत्रावली की पुनः तलाशी कर ली जावेगी। अपीलान्ट को 7 माह बाद भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है जबकि अपीलान्ट द्वारा परिवाद के नम्बर व उनवान स्पष्ट अंकित किये है। सूचना का अधिकार अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना निर्णय की प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। अपीलार्थी को सूचित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम [illegible] बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:59:47 IST
Reason: SelfAttested

(... गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते